

दिनांक 07.4.22

पेरा दो

07/22

वकील प्रार्थी उपा. वकील प्रार्थी ने Not
Preliminary लिखा है वे उक्त प्रकरण का
सारे वही प्रमाण मांगते हैं कि उक्त
प्रकरण पर Preliminary लिखित
विना प्रमाण ही प्रमाण ही प्रमाण
शुद्ध प्रमाण प्रमाण ही प्रमाण है

Not Press
Preliminary

सहायक कलेक्टर
वकील प्रार्थी

